न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)
(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:– 26/23

1. अतरसिंह 2. केदार 3. तेजसिंह 4. चन्द्रभान 5. कमलसिंह 6. भगवानसिंह	पुत्रान वनयसिंह	जाति गुर्जर निवासी दमदमा तहसील बयाना, भरतपुर
7. फूलाराम पुत्र रामचन्द 8. भगवत पुत्र रामचन्द		

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बयाना
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी वन विभाग बयाना

3. वासुदेव 4. विनोद कुमार 5. विष्णु 6. हरिओम	पुत्रान झब्बूलाल	वैश्य निवासी दमदमा, हाल पी0एन0बी बैंक के पास बयाना, भरतपुर
7. लक्ष्मन प्रसाद पुत्र रामदयाल		

—— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131
व 136 लैण्ड रैवन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांकः– 17/4/26

उपस्थितिः– श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एड0 प्रार्थीगण

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 लैण्ड रैवन्यू एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि पुराना आराजी खसरा नम्बर 1772 रकवा 7 बीघा 14 विस्वा कस्वा बयाना तहसील में स्थित है कि जिसके पूर्व बन्दोवस्व नक्शा के चारों ओर के निम्न गट्ठा थे, तरफ पूर्व 44 गट्ठा, तरफ पश्चिम 63 गट्ठा, तरफ उत्तर 49 गट्ठा, तरफ दक्षिण 66 गट्ठा, वर्तमान सेटिलमेंट के दौरान उक्त पुराना आराजी खसरा नम्बर 1172 रकवा 7 बीघा 14 विस्वा के नवींन खसरा नम्बरान 3045 रकवा 0.61, 3046 रकवा 0.11, 3047 रकवा 0.21, 3048 रकवा 0.06, 3049 रकवा 0.26 कस्वा बयाना तहसील बयाना बनाये गये है नकल जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 व नकल मिलान क्षेत्रफल साथ में पेश है, प्रार्थना पत्र की खण्ड संख्या 2 में वर्णित आराजी के प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6, 1/3 हिस्सा के वहिस्सा बराबर व प्रार्थीगण संख्या 7 व 8 प्रत्येक 1/3, 1/3 हिस्सा के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है व काबिज आराजी है, वर्तमान सेटिलमेंट द्वारा बनाई गई जमाबन्दी में रकवा तो सही दर्ज कर दिया है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की भूल से नक्शा में उक्त नवींन खसरा नम्बरान 3045, 3046, 3047, 3048, 3049 की उत्तरी से दक्षिणी सीमायें कम कर दी है ,नवींन नक्शा के गट्ठा निम्न प्रकार हैः– तरफ

उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज.

पूर्व 44 गट्ठा, तरफ पश्चिम 63 गट्ठा, तरफ उत्तर 42 गट्ठा, तरफ दक्षिण 60 गट्ठा है, इस प्रकार वर्तमान सेटिलमेंट के दौरान बनाये गये नक्शा की उत्तरी सीमा 49 गट्ठा के स्थान पर 42 गट्ठा तथा दक्षिणी सीमा 68 गट्ठा के स्थान पर 60 गट्ठा बैठती है, इस प्रकार वर्तमान सेटिलमेंट के दौरान बनाये गये नक्शा में उत्तरी सीमा 7 गट्ठा व दक्षिणी सीमा को 8 गट्ठा कम हो जाने से हम प्रार्थीगण की सख्त हकतफी है जिसे संशोधन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, दिनांक 04..2023 को प्रार्थीगण अपनी आराजी की नकलें लेने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारी उत्तरी व दक्षिणी सीमाओं के गट्ठे वक्त सैटिलमेंट कर दिये गये है तब उक्त गलत नक्शा बाबत सर्वप्रथम जानकारी हुई है।

अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त पुराना आराजी खसरा नम्बर 1772 रकवा 7 बीघा 14 विस्वा कस्वा बयाना तहसील बयाना के नवींन आराजी खसरा नम्बर 3045, 3046, 3047, 3048, 3049 के वर्तमान नक्शा में पूर्व वन्दोवस्ती के अनुसार उत्तरी सीमा 42 गट्ठा के स्थान पर 49 गट्ठा व दक्षिणी सीमा 60 गट्ठा के स्थान पर 68 गट्ठा शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बयाना को प्रकरण में रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार बयाना ने अपने पत्रांक/एलआर/25/182 दिनांक 15.01.2025 से प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बयाना ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि कस्वा बयाना के साविक खसरा नम्बर 1772 रकवा 7 बीघा 04 विस्वा के नवीन खसरा नम्बर 3045, 3046, 3047, 3048, 3049 किता–5 रकवा 1.25 हैक्टे0 बने है, नवीन खसरा नम्बर 3045, 3046, 3047, 3048, 3049 की आकृति छोटी बना दी है, रकवा बरारी करने पर क्षेत्रफल 1.16 हैक्टे0 आता है, रिकार्ड अनुसार 1.25 है0 के मुकाबले 0.09 है0 कम है, जिसकी पूर्ति खसरा नम्बर 3044 से 0.05 हैक्टै0 व 3050 में से 0.04 है0 की कमी पूर्ति की जा सकती है, जिससे प्रार्थीगण के रकबा की पूर्ति हो जायेगी, खसरा नम्बर 3044 व 3050 के रकवा पर प्रभाव नहीं पडेगा, प्रार्थीगण का पूर्ण रकवे पर मौके पर कब्जा है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुना। एड0 प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये शुद्वि किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2076–79 कस्बा बयाना, फोटोप्रति नक्शा सम्वत 1985 कस्बा बयाना, फोटोप्रति मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग एवं तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट पत्रांक/एलआर/25/182 दिनांक 15.01.2025 का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 3045, 3046, 3047, 3048, 3049 रकवा 1.25 हैक्ट वाके कस्बा बयाना है जो मौके पर 1.16 हैक्ट बैठता है की पूर्ति आराजी खसरा नम्बर 3044 से 0.05 हैक्ट व खसरा नम्बर 3050 में से 0.04 हैक्ट की तरमीम कर खसरा नम्बर 3045 वाके कस्बा बयाना में जोडा जाकर रिकार्ड में अमल किया जावे। तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट पत्रांक/एलआर/25/182 दिनांक 15.01.2025 निर्णय का जुज रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/4/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना